

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 50,000 (पच्चास हजार) रुपये थाना मधुबन साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 50,000/- (पच्चास हजार) रुपये पीडिता पवित्री निवासी शिवराजपुर थाना मधुबन जनपद मऊ द्वाराकी कुल 50,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना मधुबन के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम—

1. उ0नि0 दीपनारायण कुमार (नोडल अधिकारी), थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. म0उ0नि0 प्रियंका यादव (सहायक नोडल अधिकारी) थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. हेड ऑफेरेटर पवन कुमार सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।
4. आरक्षी शिवकुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।
5. महिला आरक्षी प्रतिमा सिंह थाना मधुबन जनपद मऊ।

पुलिस की तत्परता से 03 दिनो से मिला लापता युवक, परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल निर्देशन में तथा थानाध्यक्ष बसंतलाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में कल दिनांक 09.01.2026 को उ0नि0 अरूण कुमार

सिंह व ३०नि० शहजाद जमा खाँ मय हमराह का० मुलायम सिंह यादव व का० राघवेन्द्र प्रताप के चेकिंग रात्रि भ्रमणशील में मिर्जाहादीपुरा चौक के पास एक बालक निखिल कुमार काफी परेशान अवस्था में मिला जो मानसिक रूप से अवस्थ था जिसे थाना हाजा लाकर भोजन पानी खिलाकर व गर्म कपडे देकर काफी पूछताछ करने के बाद परिजन बताये गये मोबाइल नम्बर पर रात्रि मे ही वार्ता कर सूचना दिया गया था । दिनांक 10.01.2026 को निखिल कुमार उपरोक्त को उसके परिजनों को सकुशल अवस्था मे सुपुर्द किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.01.2026 को सुपुर्दगीकर्ता शिव शंकर पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम मनकर पोस्ट कोल्हुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर यू.पी. 9919795980 का छोटा भाई निखिल कुमार पुत्र श्री ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम मनकर पोस्ट कोल्हुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर यू.पी. जन्मतिथि – 01.12.1995 घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किया जा रहा था परन्तु कोई भी पता नहीं चल सका था ।

बरामद गुमशुदा का विवरण-

१. निखिल कुमार पुत्र श्री ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम मनकर पोस्ट कोल्हुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर यू.पी. जन्मतिथि – 01.12.1995

परिजनों को सुपुर्दगी-

आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत, गुमशुदा बालक निखिल कुमार उपरोक्त को उसके भाई शिव शंकर पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम मनकर पोस्ट कोल्हुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर यू.पी. 9919795980 व त्रिलोकी नाथ पाण्डेय पुत्र श्री ध्रुवराज पाण्डेय निवासी ग्राम मनकर पोस्ट कोल्हुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थ नगर यू.पी. 7275494812 को सुपुर्द किया गया। अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाकर परिजनों ने दक्षिणटोला पुलिस का सहृदय धन्यवाद किया और मऊ पुलिस की कार्यशैली की सराहना की।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

२. ३०नि० अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
३. ३०नि० शहजाद जमा खाँ, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
४. का० राघवेन्द्र प्रताप, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
५. का० मुलायम यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

दहेज हत्या में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.01.2026 को देखभाल क्षेत्र भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से मु0अ0सं0 542/2025 धारा 85, 115(2), 352, 108, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्तगण अमरजीत पुत्र बेचू राजभर निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ व चम्पा देवी पत्नी बेचू निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. अमरजीत पुत्र बेचू राजभर निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ।
2. चम्पा देवी पत्नी बेचू निवासी अवांव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ।

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 542/2025 धारा 85, 115(2), 352, 108, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिवाकर राना थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. का0 विराट पटेल थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. म0का0 स्वाती सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।